डीजी–परिपत्रसंख्या–42 / 2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः नवम्बर 29 ,2020

विषयः–जहरीली शराब पीने से घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में मिसलीनियस बैच 288 / 2015 सत्येन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट (पीआईएल) बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि विषाक्त मदिरा काण्डों पर नियंत्रण हेतु अवैध मदिरा के निर्माण / व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्व आबकारी एक्ट सहित भादवि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु समय–समय पर इस मुख्यालय के स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जनपदों में उनका प्रभावी ढ़ंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी परिपत्र–54 / 2013	दिनांक 27.09.2013
डीजी परिपत्र–08 / 2015	दिनांक 25.01.2015
डीजी परिपत्र–73 / 2015	दिनांक 02.11.2015
डीजी परिपत्र–44 / 2016	दिनांक 20.07.2016
डीजी–सात–एस–4(1) / 15	दिनांक 14.04.2015

विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु जैसी दुखद घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिये मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पी0आई0एल0 में दिनांक 12–04–2017 को पारित आदेश का अंश निम्नवत् हैः–

"we dispose off this writ petition with liberty to the State Government to take such appropriate steps that may be necessary for curbing any such practice of illicit liquor being traded,particularly in the rural areas about which allegations have been made and to prosecute the persons involved in it and take appropriate action against any erring government officials who may be found involved in the same."

आप सहमत होंगे कि आबकारी राजस्व प्रदेश के वित्तीय संसाधन का महत्वपूर्ण अंग है। अवैध मदिरा की तस्करी से जहॉ एक ओर आबकारी राजस्व की हानि होती है वहीं दूसरी ओर विषाक्त मदिरा के सेवन से दुखद घटनायें भी घटित हो जाती हैं जिससे जनहानि के साथ कानून व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, साथ ही स्थानीय पुलिस से जनता का विश्वास भी कम होता है।

विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली दुखद घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु आप सभी के मार्गदर्शन हेतु अनुपालनार्थ बिन्दु सुझाये जा रहे हैं, जो निम्नवत् हैः–

- जनपद स्तर पर अवैध शराब के निष्कर्षण / संचय / विक्रय के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों में विवेचनात्मक प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाये, ताकि ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही हो सके।
- विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु की घटनाओं से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कराते हुये अभियोग में गुण–दोष के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किये जायें।
- ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्व आबकारी अधिनियम, भादवि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ–साथ आवश्यक्तानुसार रासुका एवं गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

Scanned by CamScanner

- ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्..त को गैगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये।
- उ0प्र0 आबकारी (संशोधन अधिनियम) 2017 के प्राविधानों में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम–1910 के मूल अधिनियम में धारा 60 के पश्चात् धारा 60ए जोड़ी गयी है, जिसके अन्तर्गत किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से अपायकर करने हेतु मिश्रित किया जाना या ऐसे मिश्रण हुये अपायकर पदार्थ का विक्रय करना या विक्रय के लिये प्रदान करना, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या अन्य कोई परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, के लिये भिन्न–भिन्न दण्ड का उपबन्ध करते हुये मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग जो न्यायालय में लम्बित हैं, उनकी प्रभावी पैरवी कराते हुये संलिप्त अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा दिलाने का प्रयास किया जाये।
- जनपदीय अपराध समीक्षा बैठक में जिला आबकारी अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये जिससे समन्वित कार्यवाही सम्भव हो सके।

उपरोक्त दिशा–निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में मात्र आपके मार्ग दर्शन के लिये हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने जनपद की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितयों के आधार पर अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

आप सभी से अपेक्षा है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अक्षरशः पालन हेतु जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारियो एवं पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा सुनिश्चित करें कि विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली मृत्यु का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सके । इस प्रकार के अपराधों की समीक्षा आप द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

28/11/17

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner